



यौन अपराध एवं त्वरति न्यायप्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने यौन अपराधों के पीड़ितों को तेज़ी से न्याय प्रदान करने के लिये दो वर्षों के लिये केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों (Fast Track Special Court- FTSC) को जारी रखने की मंजूरी दी है।

प्रमुख बटु

- **फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों की नरितरता:** 1023 फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों को जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।
 - इनमें 389 अनन्य POCSO (Protection of Children from Sexual Offences- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायालय शामिल हैं, जो यौन अपराधों की शिकार नाबालग बच्चियों से जुड़े मुकदमों में तेज़ी लाने और तत्काल राहत प्रदान करने के लिये हैं।
- **कुल परवियय:** 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई योजना को नरितर बनाए रखने में कुल 1,572 करोड़ रुपए से अधिक का परवियय शामिल है।
 - केंद्र द्वारा नरिभया कोष से 971 करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं तथा शेष राशियाँ द्वारा प्रदान किये जाने की उम्मीद है।
- **पहल का उद्देश्य:** असहाय पीड़ितों को त्वरति न्याय प्रदान करने के अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट तंत्र यौन अपराधियों के लिये नविरक ढाँचे को मज़बूत करता है।

फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के बारे में:

- FTSC वे न्यायालय हैं, जिनसे न्याय की त्वरति व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। नियमति अदालतों की तुलना में FTSC त्वरति परीक्षण करते हैं एवं यहाँ न्याय मलिन में कम समय लगता है।

पृष्ठभूमि:

- फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs) की सफारिश पहली बार ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000 में की थी।
- भारत सरकार ने सफारिश का पालन करते हुए पाँच साल की अवधि के लिये विभिन्न राज्यों में 1,734 अतिरिक्त अदालतें बनाने के लिये 502.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
- वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को फंड देना बंद कर दिया था।
- दसिंबर 2012 में दल्लि गैंगरेप और हत्या के बाद केंद्र सरकार ने 'नरिभया फंड' की स्थापना की, कशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया और फास्ट-ट्रैक महिला न्यायालयों की स्थापना की।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिये योजना:

- वर्ष 2019 में सरकार ने भारतीय दंड संहति (IPC) के तहत बलात्कार के लंबति मामलों और POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र नपिटान के लिये देश भर में 1,023 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें (FTSCs) स्थापति करने की एक योजना को मंजूरी दी।

सरकार की अन्य पहल:

- वर्ष 2018 में भारत सरकार ने नाबालग बलात्कार पीड़ितों के मामलों में अपराधियों को अधिक कठोर दंड प्रदान करने देने के लिये आपराधिक कानूनों में संशोधन किया।
 - संशोधन में 12 वर्ष से कम उमर की पीड़िताओं के मामलों में अपराधियों के लिये मृत्युदंड की सजा घोषति की।
 - अगर पीड़िता की उमर 16 साल से कम एवं 12 वर्ष से अधिक हो तो अपराधियों के लिये आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया।

संबंधति मुद्दे

- **लंबित मामलों की बढ़ती संख्या:** शीघ्र न्याय और नष्पिक्ष सुनवाई एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालतों में लंबित मामले अधिक होने के कारण न्याय मलिनने में बहुत अधिक समय लगता है।
 - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, वर्ष 2019 के अंत में बलात्कार के मामलों में लंबित मामलों की दर 89.5% और दोषसिद्धि दर 27.8% थी।
 - POCSO से संबंधित मामलों में वर्ष के अंत में 88.8% मामले लंबित थे और जनि मामलों का नपिटारा कथिा गया, उनमें से 34.9% मामलों में दोष सिद्ध हुआ।
- **न्यायालयों का अपरभावी कार्य:** गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, दसिंबर 2020 तक 1023 फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्वीकृत संख्या में से केवल 597 अदालतें कार्य कर रही थीं, जनिमें से 321 POCSO अदालतें थीं।
 - नरिधारति समय-सीमा के अनुसार, POCSO अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को 60 दिनों के भीतर हल करना आवश्यक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है।
- **वकीलों और गवाहों से जुड़े मुद्दे:** वकीलों को मामलों की देरी से सुनवाई के लयि भी दोषी ठहराया जाना चाहयि क्योंकि वे बार-बार और अनावश्यक स्थगन की मांग करते हैं तथा गवाह भी बार-बार अदालतों में आने के लयि अनचिछुक पाए जाते हैं।
 - गवाहों की अनुपस्थिति के कारण देरी को स्थगन के मुख्य कारणों में से एक के रूप में देखा गया।
- **जनसंख्या अनुपात में कम न्यायाधीश:** वर्तमान में ज़िला और मजस्ट्रेट स्तर पर नचिली न्यायपालिका में 20% पद खाली हैं। ये स्थायी रकितयिों हैं जनिहें भरा नहीं जा रहा है।
 - वशिष न्यायालयों का गठन कर रकित पदों को न भरने से न्यायालय का भार बढ़ जाता है।
 - साथ ही ये न्यायाधीश कमोबेश सेशन कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जनिहें फास्ट-ट्रैक कोर्ट की अतररकित ज़मिमेदारी दी जाती है।

आगे की राह

- **न्यायपालिका और सरकार का सहयोगात्मक प्रयास:** FTSC का उद्देश्य केवल उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के प्रभावी समन्वय से ही पूरा कथिा जा सकता है।
 - दोनों को समान रूप से सतर्क रहना चाहयि ताकि यह सुनिश्चित कथिा जा सके कि अदालतों का गठन कथिा जाए, बुनयिादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाए और मामलों का यथासंभव शीघ्रता से नपिटारा कथिा जाए।
- **न्याय में समानता:** प्रत्येक आरोपी व्यक्त को अंतिम अदालत तक अर्थात् ज़िला स्तरीय न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक स्वयं को नरिदोष साबति करने का प्रयास करने का अधिकार है।
 - न्यायिक व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जल्दबाज़ी में वह आरोपी को न्याय से वंचति न करे।
- **गवाहों की सुरक्षा:** गवाहों की सुरक्षा के लयि कानून बनाने की ज़रूरत है। गवाह को सुरक्षा प्रदान करने के लयि कड़े कानूनों की कमी आरोपी का सामना करते समय उसके मन में भय पैदा करती है।
 - गवाह को प्रदान की गई उचित सुरक्षा का अभाव उसे न्याय के शीघ्र वतिरण के लयि कोई भी सहायता प्रदान करने से रोकता है।
- **न्यायाधीशों के क्षमता नरिमाण को बढ़ावा देना एवं तनाव कम करना:** FTSC में समरपति न्यायाधीश होने चाहयि ताकि मामलों की नयिमति आधार पर सुनवाई हो सके।
 - अपने क्षेत्र/क्षेत्राधिकार के बारे में उचित ज्ञान रखने वाले पर्याप्त न्यायाधीश होने चाहयि।
 - एक दिन में एक न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने वाले मामलों की संख्या भी सीमति होनी चाहयि, जसिसे उनकी कार्यशैली नकारात्मक रूप से प्रभावति न हो।
- **FTSC के लयि वशिष प्रक्रयिाएँ:** कानूनी प्रक्रयिा को मज़बूत करने की ज़रूरत है। एक सामान्य अदालत और एक वशिष अदालत के लयि एक ही परीक्षण प्रक्रयिा से न्याय में लगने वाले समय पर कोई फरक नहीं पड़ेगा और लंबित मामलों में अधिक वृद्धि होगी। अतः प्रक्रयिाओं में बदलाव की भी ज़रूरत है।
 - साथ ही नष्पिक्ष सुनवाई के साथ समझौता कथिा बना वशिष अदालतों के लयि एक आसान प्रक्रयिा और तंत्र नरिधारति कथिा जाना चाहयि।
 - इस दिशा में प्रयास कथिा जाना चाहयि कि वशिष अदालतें एक वशिष प्रक्रयिा लागू करें और मामलों की सुनवाई के लयि समय-सीमा भी कम करें।
- **ग्रामीण और पछिड़े क्षेत्रों में न्यायपालिका:** ग्रामीण और पछिड़े क्षेत्रों में यौन अपराध अकसर रिपोर्ट नहीं कथिा जाते हैं।
 - ग्रामीण और आदविसी क्षेत्रों में तकनीकी, न्यायिक और कानूनी बुनयिादी ढाँचे को बढ़ाना जहाँ न केवल मामलों की संख्या दिनि-ब-दिनि बढ़ती जा रही है बल्कि न्याय की स्थिति भी बदतर है।
- **पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता:** न केवल अदालतों में बल्कि घर में भी संवेदनशीलता को बढ़ावा दथिा जाना चाहयि। यौन अपराधों के नरिाकरण के लयि केवल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना ही रामबाण नहीं है; समाज को महलिाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना होगा।
 - समाज को संवेदनशील बनाने के अन्य तरीकों में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और सरकारी स्कूलों में यौन शक्ति कक्षाएँ शुरू करना शामिल है।
 - वकीलों और पुलिस की ओर से भी संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

नष्पिक्ष

- 'यौन अपराध पीड़ितों को समयबद्ध न्याय' हमारे देश में न्याय प्रदान करने संबंधी प्रमुख चतिाओं में से एक है।
 - सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय मांगने वाले आम आदमी को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट या एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमना ना पड़े।
 - इस प्रकार के फास्ट-ट्रैक तंत्र में ऐसी स्थिति की संभावना को कम करने की क्षमता होती है कतिु इसके लयि इस तरह के न्यायालयों का कार्यान्वयन प्रभावी बनाने की आवश्यकता होती है।

नविरक प्रभाव बेहतर करने के लिये कानूनों का समय पर संशोधन और उनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। यदि बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं एवं पीड़ितों को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं तो नविरक प्रभाव के बेहतर होने की संभावना नहीं है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sexual-crime-fast-tracking-justice>

